न्यायालय अपील प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण **पोषण** अपील.संख्याः 03/2023

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1– दातार कंवर पत्नी प्रेमसिंह 2– प्रेमसिंह पुत्र बादरसिंह निवासी– नयाबास, बालसमंद, जोधपुर		1– मोहन सिंह पुत्र मुलसिंह 2– निहाल कंवर पत्नी मोहन सिंह निवासी– नयाबास (ग्रीन सिटी) बालसमंद, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.02.2023 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रकरण संख्या 23/2021 दातार कंवर व अन्य बनाम मोहनसिंह व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– अपीलार्थी उपस्थित।
2– प्रत्यर्थीपक्ष उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 सपठित धारा 21 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत भरण पोषण राशि दिलाने एवं रहवासीय मकान का कब्जा दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा सुनवाई कर आदेश दिनांक 15.02.2023 को पारित किया गया, जिसमें प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के रहवास, भोजन, कपडा एवं बीमार होने की स्थिति में दवाई एवं इलाज के लिए उचित व्यवस्था करने एवं अभद्र व्यवहार नही करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (03/2023) रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगणों के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ड संख्या 2 दिनांक 10.07.2024 को उपस्थित हुए तथा दोनो पक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 क्रमशः उनके दामाद एवं पुत्री है तथा अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)) के समक्ष अंतर्गत धारा 5 सपठित धारा 21 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 बाबत भरण पोषण राशि दिलवाने एवं रहवासीय मकान का कब्जा दिलवाने का आवदेन करने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा कि अपीलार्थीगण के चार पुत्रिया है जिसमें से प्रत्यथी पक्ष–02 बडी पुत्री है तथा उनको निवास का प्लॉट व मकान अपीलार्थीगण द्वारा दिलाया गया है व पिछले 25 वर्षो से उनके साथ ही निवास कर रहे है। उक्त रहवासीय भूखण्ड व

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

मकान के लिए अपीलार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक कृषि भूमि का बेचान कर 19,50,000/– रोकड़ प्रत्यथीगण को दिये गये। अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के साथ मारपीट कर परिसर का उपयोग व उपभोग नही करने दिया जा रहा है तथा न ही किसी प्रकार का भरण पोषण दिया जा रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा आगे बहस में बतलाया गया कि उनके अन्य पुत्रियों द्वारा किनारा कर लिया गया क्योंकि अपीलार्थी ने अपनी जीवनभर की कमाई व पैतृक जमीन बेचकर प्रत्यर्थीगण को दे दी। अपीलार्थीगण वर्तमान में आर्थिक तंगी व बीमारी से पीड़ित है। अतः अपील स्वीकर करते हुए भरण पोषण राशि, दिलाने एवं रहवास का उपयोग व उपभोग करने का आदेश प्रदान किया जाय।

तत्पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या–2 ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पोडेण्ड संख्या 2 का विवाह करीब 21 वर्ष पूर्व किसी दान, स्त्रीधन इत्यादि बिना ही सारा खर्चा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के परिवारजन द्वारा वहन करते हुए सम्पन्न हुआ तथा प्रत्यथी संख्या 01 से अपीलार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अपीलार्थीगण की अन्य दो पुत्रिया रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से बडी है व सभी पुत्रिया विवाहित है। अपीलार्थीगण का मूल पता हरसोलाव है जहां इनकी कृषि भूमि व पैतृक मकान बना हुआ है, अपीलार्थीगण द्वारा मकान हड़प करने की नियत से झूठी अपील प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा मेहनत एवं स्वअर्जित आय से व बैंक द्वारा ऋण से प्लॉट खरीद कर मकान बनाया गया है। अपीलार्थीगण अन्य पुत्रियों के बहकावे में आकर तथा अपीलार्थीगण को उनकी पुत्रियों उम्मेद कंवर व संतोष कंवर के विवाह के समय दिये गये रूपयों को पुनः मांग करने पर झूठी अपील प्रस्तुत की। बहस के अंत में: अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से रेस्पोडेण्ट संख्या–1 व 2 से भरण पोषण राशि दिलवाने एवं रहवास का उपयोग, उपभोग करने व उनके साथ किसी प्रकार की मारपीट नही करने की प्रार्थना की गई। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोष्ण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 की उपधारा 1 के बिन्दु "(i) अपनी संतानों में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अवस्यक नही हो अभिभावक या दादा/नानाः" का प्रावधान है, उक्त प्रावधान से अपीलार्थी अपने दामाद प्रत्यर्थी पक्ष 01 के विरूद्ध अनुतोष अपील नही कर सकते तथा अधिनियम की धारा 5 के अनुसार " उप–धारा (1) के अधीन भरण पोषण के लिए आवेदन एक या अधिक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है" का प्रावधान है, इस कारण अपीलार्थी अपनी इच्छा से किसी संतान के विरूद्ध आवेदन कर सकता है। अतः उक्त विवचेना के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अप्रार्थीपक्ष/रेस्पोडेण्ट संख्या–02 को आदेशित किया जाता है कि वे प्रतिमाह की 05 तारीख तक 5000/– राशि का भरण पोषण अपीलार्थीगण के बैंक खाते में जमा करवाये तथा अपीलार्थीगण के साथ किसी प्रकार की मारपीट, गालीगालौच नही करके सदाचार से रहे। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 24.07.2024 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)